डीजी-परिपत्र संख्या- 17/2020

एच0सी0अवस्थी

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

पुलिस मुख्यालय,उ0प्र0, लखनऊ

दिनांकः लखनऊः मई 23, 2020

विषय-पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराधों को राजकीय रेलवे पुलिस में विशेष आख्या अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत रखते हुए कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय,

पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या-49/2015 दिनांक 07.07.2015 के आलोक में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराधों में विशेष आख्या अपराध (Special Report Case) मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को अपराधों की सूचना तत्काल प्रेषित करते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध (Special Report Case) की श्रेणी में रखने का उद्देश्य यह है कि इसकी विवेचना गहनता से किये जाने के साथ-साथ विवेचना का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एवं गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करते हुए विवेचक का सही मार्ग दर्शन किया जाए, जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके तथा अपराधियों को दण्डित कराया जा सके।

राजकीय रेलवे पुलिस में रेल/रेल यात्रियों के साथ व रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में कुछ विशेष प्रकार के अपराध घटित होते है, जिनमें गहन विवेचना, सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण (Follow up Action) की कार्यवाही अपेक्षित होती है। पूर्व में निर्गत उक्त परिपत्र में इंगित विशेष आख्या अपराधों सहित निम्नलिखित अपराधों को राजकीय रेलवे पुलिस से सम्बन्धित विवेचनाओं के उच्चस्तरीय एवं बेहतर पर्यवेक्षण के उद्देश्य से विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है:-

01- जहरखुरानी।

02- विदेशी यात्रियों से चोरी।

03- निम्न वर्णित अपराधों में घटना की गम्भीरता, राज्य विरोधी, सेबोटाज (विध्वंसकारी), किसी आतंकवादी संगठन से संबंधित अर्न्तराज्यीय अपराध का होना पाये जाने पर ही एस0आर0 केस की श्रेणी में रखा जायेगा।

क- विस्फोटक पदार्थ/विस्फोट से संबंधित अपराध।

ख- अवैध शराब के विनिर्माण, विक्रय ,बरामदगी से संबंधित अपराध।

ग- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ की बरामदगी से संबंधित अपराध।

घ- अवैध असलहा एवं कारतूस की बरामदगी से संबंधित अपराध।

अपेक्षा है कि आप सुनिश्चित करें कि समस्त विशेष आख्या अपराध की पत्रावलियों पर विवेचक को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हेतु एस0आर0 केस की विवेचना हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुरूप यथोचित निर्देश दिये जायें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(एच0सी0 अवस्थी)

पुलिस अधीक्षक रेलवे, प्रभारी अनुभाग
लखनऊ/मुरादाबाद/गोरखपुर/
आगरा/प्रयागराज/झांसी, उ0प्र0।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/प्रयागराज।
3- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/प्रयागराज।